



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23092026-276446
CG-DL-E-23092026-276446

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5032]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 23, 2026/आश्विन 1, 1948

No. 5032]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 23, 2026/ASVINA 1, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2026

[सं. 78/2026-सीमा शुल्क (गै.टै.)]

का.आ. 5239(अ).— सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 3 और धारा 5 की उप-धारा (1) और (1क) के साथ पठित धारा 4 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, एतद्वारा, नीचे दी गई तालिका के कॉलम (3) में उल्लिखित अधिकारी को कॉलम (1) में उल्लिखित नोटिसी के संबंध में कॉलम (2) में उल्लिखित कारण बताओं नोटिस के निर्णयन हेतु सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, हैदराबाद-IV आयुक्त कार्यालय, हैदराबाद को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और उनके कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त करता है, यथा:-

तालिका

नोटिस प्राप्तकर्ता का नाम और पता (मैसर्स)	कारण बताओ नोटिस नंबर और तारीख	उभय न्यायाधिकरण
(1)	(2)	(3)
तिरुपति उद्योग लिमिटेड, कोटूर	अपर महानिदेशक (एडीजी), राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई), क्षेत्रीय इकाई, चेन्नै द्वारा दिनांक 06-11-2008 को जारी नोटिस संख्या VIII/26/23/2008-एचआरयू	प्रधान आयुक्त अथवा आयुक्त, सीमा शुल्क हैदराबाद, जीएसटी भवन, लाल बहादुर स्टेडियम रोड, बशीरबाग, हैदराबाद- 500004

2. यह अधिसूचना राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. 437/06/2021-सीमा शुल्क-IV- पीटी.II]

अनुरिमा शर्मा, निदेशक (सीमा शुल्क)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd September, 2026

[No. 78/2026-Customs (N.T.)]

S.O. 5239(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 read with section 3 and sub-sections (1) and (1A) of section 5 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs, hereby appoints the officer mentioned in column (3) of the TABLE below to exercise the powers and discharge the duties conferred or imposed on the Commissioner of Customs and Central Excise, Hyderabad-IV Commissionerate, Hyderabad, for the purpose of adjudication of the show cause notice mentioned in column (2) of the said TABLE, in respect of the noticee mentioned in column (1) therein, namely:-

TABLE

Name of noticee and address(M/s.)	Show cause notice number and date	Common adjudicating authority
(1)	(2)	(3)
Tirupati Udyog Limited, Kotur	VIII/26/23/2008-HRU, dated 06.11.2008 issued by the Additional Director General (ADG), Directorate of Revenue Intelligence (DRI), Zonal Unit, Chennai	Principal Commissioner or Commissioner of Customs, Hyderabad, GST Bhavan, Lal Bahadur Stadium Road, Basheerbagh, Hyderabad- 500004

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 437/06/2021-Cus-IV-Pt.II]

ANURIMA SHARMA, Director (Customs)